(7)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.

क्रमांक एफ 9–1/प्रश/2001/सापवि/1–3 रायपुर, दिनांक 14 जून, 2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषय :– स्थानीय निवासियों की परिभाषा का निर्धारण ।

सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 10.04.2002 के जरिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की परिभाषा संबंधी जो निर्देश जारी किए गए हैं, वे एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत अब छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की निम्नलिखित परिभाषा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1/ छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी उसी व्यक्ति को माना जावेगा जो निम्नलिखित चार में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त की पूर्ति करता हो:–

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हो.
2. (क) वह,

   अथवा

   (ख) उसके पालकों में से कोई,

   अथवा

   (ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा हो ।
3. उसके पालकों में से कोई भी :–

   (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो,

   अथवा

   (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत हो,

निरंतर...2...

4. (क) वह स्वयं,

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हो,

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त की पूर्ति भी करता हो :—

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की हो,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाये उत्तीर्ण की हो, अर्थात् :—

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट हायर सेकेंडरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवी कक्षा की परीक्षा.

2. उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे:—

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

निरंतर...3....

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/ कर्मचारी, उनकी पत्नी/ पति अथवा संतान ।

उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

पंकज द्विवेदी 17/6

(पंकज द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक एफ 9–1/प्रश/2001/साप्रवि/1–3 — रायपुर, दिनांक 17 जून, 2003

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
2. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
4. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी,
5. मुख्यमंत्री/ समस्त मंत्रीगण/ समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
7. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर
8. अवर सचिव (स्थापना), अवर सचिव (अधीक्षण शाखा) लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(पी.सी. सूर्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

* निवासी प्रमाण-पत्र *

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ____________________

आत्मज श्री ____________________ जाति ____________________

ग्राम ______________ तहसील ______________ जिला ______________

______________ (छत्तीसगढ़) का निवासी है। मैं इन्हें विगत ______________ वर्षों से जानता हूँ।

यह प्रमाण पत्र ____________________ बाबत जारी किया जाता है।

दिनांक ______________

प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर
एवं पदमुद्रा

फार्म (अ)

परिपत्र दो–1 की कंडिका 6 देखें

राजस्व आदेश पत्र

न्यायालय तहसीलदार ______________ के न्यायालय में मामला क्रमांक सन् 200

विषय :– ______________ प्रमाण–पत्र मिलने बाबत प्रकरण की श्रेणी ______________

ग्राम ______________ बन्दोबस्त नं. ______________ प.ह.नं. ______________ तहसील ______________

कलेक्टर का क्रमांक ______________ 200 /200 अनुविभागीय अधि. का क्र. ______________ 200 /200

तहसीलदार का क्रमांक ______________ 200 /200 नायब तहसीलदार का क्र. ______________ 200 /200

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थल	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो पक्षों अथवा वकीलों का हस्ता. आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
	आवेदक श्री ______________ आत्मज श्री ______________ निवास स्थान ______________ प.ह.नं. ______________ तहसील ______________ जिला ______________ का निवासी है। जो कि ______________ कार्य हेतु ______________ प्रमाण–पत्र मिलने बाबत आवेदन पत्र हलफनामा एवं अपने शैक्ष. प्रमाण–पत्र/पटवारी रिपोर्ट का विवरण पेश किया गया है। प्रकरण पंजीयन किया जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को ______________ प्रमाण–पत्र जारी कर प्रकरण नस्थी किया गया। तहसीलदार	

समक्ष श्रीमान ______________________________

विषय : ______________________ जिला छत्तीसगढ़ निवासी होने बाबत प्रमाण–पत्र मिलने बाबत्

आवेदन - पत्र

महोदय,

1. आवेदक का पूरा नाम ______________________
2. आवेदक का पिता का पूरा नाम ______________________
3. आवेदक का पिता क्या काम करता है ______________________
4. रहने का स्थान अलग–अलग समय दिया जावे ______________________
5. आवेदक का जन्म स्थान ______________________
6. आवेदक का जन्म स्थान के बाद अलग–अलग स्थान में रहने का नाम और प्रत्येक का अलग अलग वर्ष वार समय दिया जावे । ______________________
7. आवेदक की जन्म तारीख और उम्र ______________________
8. प्रार्थी क्या काम करता है एवं कहां–कहां पर प्रत्येक जगह का समय का विवरण दिया जावे ______________________
9. आवेदक मूल निवासी किस प्रांत या जिला का है। ______________________
10. आवेदक __________ जिला में कब से रहता है (प्रमाण पत्र की नकल साथ में लगाई जावे) ______________________
11. प्रार्थी कहां तक पढ़ा लिखा है और कहां–कहां किन–किन स्थानों में प्रत्येक का अलग–अलग विवरण दिया जावे। ______________________
12. आवेदक का नाम मतदाता सूची में है यदि हो तो सूची की नकल साथ में लगाई जावे ______________________
13. आदेदक को प्रमाण–पत्र किस बाबत् चाहिए ______________________
14. अन्य सूचना या विवरण जो आवेदक देना चाहता है ______________________
15. हलफनामा भी संलग्न है ______________________

दिनांक ______________ आवेदक के हस्ताक्षर

समक्ष पब्लिक नोटरी ______________________ (छ.ग.)

शपथ–पत्र

मैं ______________________ पिता श्री ______________________

आयु __________ वर्ष जाति ______________ निवासी ______________________

तहसील ______________ जिला ______________ छत्तीसगढ़ का / की हूँ जो कि निम्नलिखित

कथन शपथ पूर्वक पेश करता / करती हूँ कि :–

(1) यह कि मेरा जन्म दिनांक __________ को स्थान ______________________
तहसील ______________ जिला ______________ छत्तीसगढ़ में हुआ है।

(2) यह कि मैंने अपनी शिक्षा पहली से पाँचवीं ग्राम ______________________ में
छठवीं से आठवीं ग्राम ______________ में, नवमीं से दसवीं ______________
में, ग्यारहवीं से बारहवीं ______________ में, एवं ______________
उत्तीर्ण किया / की हूँ।

(3) यह कि मैं अपने जन्म से आज तक कभी–भी छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर निवास नहीं किया / की हूँ, अर्थात् मैं छत्तीसगढ़ का / की मूल निवासी हूँ।

(4) यह कि मुझें अपने नौकरी / शिक्षा के सिलसिले में मूल निवासी प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है जिसके लिए मैं यह शपथ–पत्र पेश कर रहा / रही हूँ।

(5) यह कि उपरोक्त शपथ –पत्र मुझे संबंधित अधिकारी के समक्ष पेश करना है, जिसके लिए शपथ–पत्र लिखकर प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ।

शपथकर्ता

–: सत्यापन :–

मैं उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करता / करती हूँ कि उक्त शपथ – पत्र की कंडिका क्र. 1 से 5 तक में वर्णित तथ्य मेरे स्वयं के निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है।

अतः मैं अपना हस्ताक्षर आज दिनांक __________ को मुकाम ______________
छत्तीसगढ़ में कर दिया/दी।

दिनांक

शपथकर्ता